

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

कमांक:-प.6(7)राज.-6/1995 /25

जयपुर, दिनांक :- 27.9.2011

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या-15 वर्ष 1956) की धारा-20 (ख) (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को जिन्हें कार्मिक विभाग की आज्ञा कमांक:1(3)कार्मिक/क-4 /2011 दिनांक 18.08.2011 के द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित जिलों में सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रशिक्षण पर) पदस्थापित किया है, को सहायक कलेक्टर उनके क्षेत्राधिकार के भीतर नियुक्त करती है:-

क्र.सं.	नाम सर्वश्री	जिला जिसमें पदस्थापित किया है।
1.	संजय शर्मा	करीली
2.	जयप्रकाश नारायण	प्रतापगढ़
3.	कुमारी तरु सुराणा	राजसमन्द
4.	जितेन्द्र सिंह नरूका	जैलमेर
5.	कुमारी अर्चना सिरोही	अलवर
6.	दिनेश कुमार जांगिड़	बारां
7.	नरेन्द्र चौधरी	जालौर
8.	कृष्ण सिंह चौहान	बाड़मेर
9.	श्रीमती ममता कुमारी तिवाड़ी	कोटा
10.	नरेश बूनकर	भरतपुर
11.	श्रीमती अनीता चौधरी	पाली
12.	वलवन्त सिंह लिघ्री	श्रीगंगानगर
13.	श्रीमती बीना महावर	बीकानेर

राज्यपाल की आज्ञा से,
(मोहन लाल नेहरा)
(मोहन लाल नेहरा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माIO मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव राजस्व।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
8. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
9. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
10. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 27.9.2011 में प्रकाशन हेतु।
11. "राविरा" राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
12. विशेषाधिकारी, कार्मिक (क-4) विभाग।
13. उप निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. रक्षित पत्रावली।

(मोहन लाल नेहरा)
शासन उप सचिव